शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 50 वां वर्ष

ई – पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 50 अंक – 8 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पजींकरण एच. पी./93 /एस एम एल Valid upto 31-12-2026 सोमवार 17 – 24 फरवरी 2025 मूल्य पांच रूपये

क्या सरकार कर्ज लेकर घी पीने को चरितार्थ कर रही है?

- सरकार के फैसलों और कार्यप्रणाली से उठा यह सवाल
- संकट के समय खर्चों पर नियंत्रण किया जाता है न कि बढ़ाया

शिमला/शैल। क्या सुक्खू सरकार कर्ज लेकर घी पीने के चार्वाक दर्शन का अनुसरण कर रही है या रोम जल रहा था नीरो बांसुरी बजा रहा था को दोहरा रही है। यह सवाल इसलिये प्रासंगिक हो रहे हैं क्योंकि सरकार हर माह कर्ज लेकर काम चला रही है। लेकिन सरकार अपने अनावश्यक खर्चो पर रोक नहीं लगा पा रही है। अभी सरकार ने वाइल्ड फ्लावर हॉल होटल को लीज पर देने के लिये एक कंसल्टेंट की सेवाएं लेने का फैसला लिया है। यह कंसलटेंट लीज की शर्तें तय करेगा। जब सरकार के दिल्ली के हिमाचल भवन को एक देनदारी अदा न कर पाने की एवज में उच्च न्यायालय ने अटैच कर दिया था तब पूरे पर्यटन विभाग की कारगुजारी चर्चा में आ गयी थी। उच्च न्यायालय ने अठारह होटलों को बन्द करने के आदेश जारी कर दिये थे। तब भारत सरकार से सेवानिवृत सचिव तरूण श्रीधर ने सरकार और पर्यटन विभाग को इस संकट से उभारने के लिये निःशुल्क अपनी सेवाएं प्रदान करने का प्रस्ताव दिया था। क्योंकि वह एक समय पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक रह चुके थे। तरुण श्रीधर की सेवाएं लेकर पर्यटन निगम और विभाग की कार्य प्रणाली में कुछ सुधार आया है जबकि सरकार श्रीधर की पूरी रिपोर्ट पर अमल नहीं कर पायी है। आज सरकार के पास श्रीधर की सेवाएं उपलब्ध हैं। सरकार में वरिष्ठ आईएएस अफसर की एक लम्बी लाइन उपलब्ध है। वित्तीय निवेश पर राय देने के लिये सलाहकार उपलब्ध है यह सारा कुछ उपलब्ध होते हुए भी जब सरकार एक लीज की शर्त तय करने के लिये कंसल्टेंट की सेवाएं लेने पर आ जाये तो उसे क्या कहा जायेगा? क्या सरकार को अपनी अफसरसाही पर विश्वास नहीं रहा है या फिर किसी व्यक्ति विशेष को लाभ देने के लिये यह रास्ता अपनाया जा रहा है।

सरकार पर केंद्रीय धन के दुरुपयोग के आरोप विपक्ष लम्बे अरसे से लगाता आ रहा है जब रामपुर में आपदा राहत के नाम पर प्रधानमंत्री आवास योजना में आया पैसा उन लोगों को बांट दिया गया जिन्होंने कभी इसके लिये आवेदन ही नहीं किया था। जब यह चर्चा में आया तो उन लोगों को रिकवरी नोटिस भेज दिये और अब यह मामला उच्च न्यायालय में पहुंच गया है। केन्द्रीय योजनाओं के पैसे से कर्मचारियों का वेतन दिया जा रहा है। यह आरोप समग्र शिक्षा अभियान के संद्धर्भ में सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पत्र विपक्ष द्वारा सार्वजनिक करने से प्रमाणित हो चुका है। प्रदेश वित्तीय संकट से गुजर रहा है और कभी भी श्री लंका जैसे हालात हो सकते हैं यह चेतावनी सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री ने दे दी थी। यह चेतावनी देने के बाद भी सी.पी.एस. की नियुक्तियां करना और प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अवैध करार देने के बाद उस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में उनके बचाव के लिये करोड़ों खर्च करने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। फिर इस में वकालत कर रहे वकीलों के नाम से यह इंगित हो जाता है कि सही में करोड़ों खर्च किये जा रहे होंगे।

विधायक प्राथमिकता योजनाओं को लेकर विपक्ष अरसे से सरकार के खिलाफ लामबन्द है। इसी लामबन्दी के परिणाम स्वरुप विपक्ष ने बजट पूर्व होने वाली प्राथमिकता बैठकों का बहिष्कार किया। संभव है कि विपक्ष सर्वदलीय बैठक का भी बहिष्कार करें। सुक्खू सरकार वित्तीय संकट और कुप्रबंधन के लिये लगातार विपक्ष को कोसती आ रही है। सरकार के इस आरोप में कितना दम है यदि इस बहस और आंकड़ों में भी जायें तो सरकार के मंत्रियों के बयानों से ही यह स्पष्ट हो जाता है की प्रदेश में वित्तीय संकट है। ऐसे में यह सवाल उठना स्वभाविक है कि जब संकट है तो उसमें अनुत्पादक खर्चों से तो परहेज किया जाना चाहिए था। लेकिन सी.पी.एस. और सलाहकारों तथा विशेष कार्यधिकारियों की कैबिनेट रैंक में एक लम्बी फौज खड़ा करने की क्या आवश्यकता थी। मंत्रियों के दफ्तरों की रिपेयर और साजसजा के नाम पर करोड़ों खर्च करने की क्या आवश्यकता है। जब वित्तीय संकट हो और विधानसभा का बजट सत्र पन्द्रह दिन बाद आने वाला हो तो उस समय जो मुख्यमंत्री अपने परिवार और मित्रों के साथ छुटियां मनाने विदेश चला जाये उनकी प्रदेश और सरकार के बारे में गंभीरता को लेकर सवाल तो उठेंगे ही। यही कहा जायेगा कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसरी बजा रहा था। कल कोई यदि आर.टी.आई. में यह जानकारी मांग ली जाये कि मुख्यमंत्री की इस यात्रा पर सरकार का कितना खर्च हुआ है तो शायद इसका उत्तर यह कहकर नहीं टाला जा सकेगा कि यह प्राइवेट और व्यक्तिगत जानकारी है। क्योंकि मुख्यमंत्री इस यात्रा पर न कोई अवकाश लेकर तथा न ही अपना चार्ज किसी दूसरे को देकर गये थे। क्योंकि मुख्यमंत्री के छुटी पर जाने के लिये कोई निश्चित नियम नहीं है और इनके आभाव में वह हर समय कार्यशील मुखिया रहता है और आर.टी.आई. के दायरे में आता है। यह सवाल इसलिये प्रासंगिक हो जाते हैं कि वित्तीय संकट के कारण प्रदेश लगातार कर्ज की दलदल में धस्ता चला जा रहा है

राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स की सराहना की

शिमला/शैल। गणतंत्र दिवस शिविर-2025 में भाग लेने वाले हिमाचल प्रदेश के एनसीसी कैडेट्स ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से भेंट कर अपने अनुभव साझा किए। गणतंत्र दिवस शिविर में पंजाब, हरियाणा,

हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ एनसीसी निदेशालय के कुल 93 कैडेट्स ने भाग लिया। इनमें हिमाचल प्रदेश के 23 कैडेट शामिल थे।

राज्यपाल ने प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह में राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए इन कैडेट्स की सराहना की। उन्होंने कहा कि उनकी भागीदारी हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात है। उन्होंने कहा कि एनसीसी केवल एक संगठन नहीं है, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व, देशभक्ति और सेवा के लिए एक सशक्त मंच है। राज्यपाल ने इस बात पर बल दिया कि शिविर में उन्हें जो प्रशिक्षण मिला है, वह न केवल उन्हें जिम्मेदार नागरिक बनायेगा, बल्कि उनके व्यक्तित्व को निखारेगा और उन्हें राष्ट्र सेवा करने के लिए भी प्रेरित करेगा।

शुक्ल ने हिमाचल प्रदेश की समृद्ध विरासत की सराहना करते हुए इसे 'वीर भूमि' कहा। उन्होंने राष्ट्रीय रक्षा और सेवा में राज्य के युवाओं के अपार योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने कैडेट्स से कहा कि आप इस गौरवशाली परंपरा के ध्वजवाहक हैं। उन्होंने एनसीसी के मूल आदर्श वाक्य 'एकता और अनुशासन' को भी दोहराया और उन्हें अपने दैनिक जीवन में इन मूल्यों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया।

राज्यपाल ने एनसीसी कैडेट्स से नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ लड़ाई में सक्रिय रूप से योगदान देने का आग्रह किया। उन्होंने कैडेट्स को अपने स्कूलों, कॉलेजों और स्थानीय समुदायों में नशीली दवाओं के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश के निर्माण में उनकी भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जिम्मेदार युवा होने के नाते, आपको न केवल नशीली दवाओं से दूर रहना चाहिए, बल्कि अपने आस-पास के लोगों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए।

एनसीसी समूह मुख्यालय, शिमला के ब्रिगेडियर रोवेन ने एनसीसी दल की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।

राज्यपाल के सचिव चंद्र प्रकाश वर्मा, डिप्टी कमांडर कर्नल ए.एस. बैंस, प्रशिक्षण अधिकारी कर्नल रवि कुमार सैनी, कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल प्रवीण ठाकुर तथा एनसीसी ग्रुप शिमला के अन्य अधिकारी एवं प्रशिक्षण स्टाफ भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

राज्यपाल ने दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल के हिमाचल प्रदेश में दो वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में राजभवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने पिछले वर्ष के दौरान की गई प्रमुख घटनाओं और पहलों पर प्रकाश डालने वाली कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया। राजभवन के कर्मचारियों और समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों ने उन्हें अपनी शुभकामनाएं और बधाई दी।

इस दौरान राज्यपाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपने कार्यकाल के दौरान की गई कई सामाजिक पहलों के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल अभियान पर विशेष जोर दिया और समाज के सभी वर्गों, खासकर मीडिया से मिले समर्थन की सराहना की।

राज्यपाल ने संवैधानिक ढांचे के भीतर अपने पद की गरिमा को बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहरारते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश हमेशा उनके लिए घर जैसा रहा है और राज्य के प्रथम नागरिक के रूप में वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए समर्पित हैं।

नशे के बढ़ते प्रचलन पर चिंता व्यद्र करते हुए राज्यपाल ने कहा कि इससे देवभूमि हिमाचल प्रदेश की पहचान प्रभावित हुई है। उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यक्रमों से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों तक नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के अपने प्रयासों पर प्रकाश डाला और इस बात पर संतोष व्यद्र किया कि समाज के विभिन्न वर्गों में नशे के खिलाफ आंदोलन ने गति पकड़ी है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि पंचायत स्तर पर जागरूकता फैलाने से ही महत्वपूर्ण सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश की दिशा में काम करना जारी रखने का अपना दृढ़संकल्प दोहराया।

राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा भी इस अवसर पर उपस्थित थे।.

ग्रामीण विकास विभाग और अल्ट्राटेक सीमेंट ने गैर पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए समझौता ज्ञापन किया हस्ताक्षरित

शिमला/शैल। राज्य में गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए ग्रामीण

विकास विभाग और अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है।

इस साझेदारी के तहत अल्ट्राटेक सीमेंट जिला सोलन के दाड़लाघाट के बागा में स्थित अपनी सीमेंट भट्टी में गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे के सह-प्रसंस्करण के लिए विभाग के साथ सहयोग करेगी। यह नवोन्मेषी दृष्टिकोण पर्यावरण के अनुकूल अपशिष्ट निपटान विधियों के साथ सरेखित होगा और राज्य में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के सरकार के मिशन में योगदान देगा।

समझौता ज्ञापन स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं को बढ़ावा देने की दिशा में ग्रामीण विकास विभाग और अल्ट्राटेक सीमेंट की साझा प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। गैर-पुनर्चक्रण योग्य कचरे के प्रसंस्करण और निपटान, पर्यावरण प्रदूषण को कम करने और लैंडफिल उपयोग को कम करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट की उन्नत तकनीक से लाभ होगा।

प्रदेश में अंबुजा सीमेंट के प्लांट बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, सोलन और ऊना जिला के गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का निष्पादन करेंगे। वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा 29 प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन इकाइयों को चालू कर दिया गया है और इन इकाइयों के गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे को भी सह-प्रसंस्करण के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट प्लांट में भेजा जाएगा।

ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक राघव शर्मा ने कहा कि यह सहयोग स्वच्छ और हरित हिमाचल प्रदेश के दृष्टिकोण को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है। अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ साझेदारी करके विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि गैर-पुनर्चक्रण योग्य प्लास्टिक कचरे का पर्यावरण पर इसके प्रभाव को कम करते हुए स्थायी समाधान के लिए उचित प्रबंधन किया जाएगा।

अल्ट्राटेक सीमेंट के प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें हिमाचल प्रदेश के अपशिष्ट प्रबंधन लक्ष्यों में योगदान करने पर गर्व है। यह पहल सतत विकास के प्रति अल्ट्राटेक की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

किन्नौर, लाहौल-स्पीति में डॉप्लर वेदर राडार स्टेशन स्थापित होंगे

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति की बैठक आयोजित हुई।

बैठक में आपदा के दौरान संचार के लिए इस्तेमाल होने वाले हैम रेडिया के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। आपदा के दौरान हैम रेडिया से स्थानीय स्तर पर संचार नेटवर्क स्थापित किया जा सकता है।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में अब तक 88 कर्मचारियों को हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण के बाद कर्मचारियों के कौशल ज्ञान को परखने के लिए परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि अग्निशमन व एसडीआरएफ के कर्मचारियों को भी हैम रेडियो का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

बैठक में बताया गया कि 12 बहुतकनीकी संस्थानों को आपदा के दौरान हाउसिंग ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करने के लिए चिन्हित किया गया है।

मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने उपायुक्त लाहौल-स्पीति राहुल कुमार और उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा को डॉप्लर राडार स्टेशन स्थापित करने के लिए स्थल चिन्हित करने के निर्देश दिए। बैठक में किन्नौर और लाहौल-स्पीति में डॉप्लर वेदर राडार स्टेशन स्थापित करने पर भी निर्णय लिया गया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव आंकार चंद शर्मा, निदेशक व विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक एसडीआरएफ अर्जित सेन, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय कपूर, मुख्य अभियंता ऊर्जा विभाग डीपी गुप्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी और जिलों के उपायुक्त आभासी माध्यम से उपस्थित रहे।

महिला कर्मचारियों को 60 दिन के विशेष मातृत्व अवकाश की शुरुआत

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत महिलाओं को सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने उन महिलाओं के लिए 60 दिन का विशेष मातृत्व अवकाश देने की पहल की है, जो मृत शिशु को जन्म देती हैं या जन्म के तुरंत बाद बच्चे को खो देती है।

वर्तमान में सरकारी सेवा में कार्यरत महिला, जिसके दो से कम जीवित बच्चें है वह प्रसव होने पर 180 दिनों के मातृत्व अवकाश की हकदार है। हाल ही में घोषित विशेष मातृत्व अवकाश केवल मृत शिशु या नवजात शिशु की मृत्यु के मामलों में ही लागू शर्तो पर ही लागू होगा। यह अवकाश केवल अधिकृत अस्पतालों में प्रसव के लिए ही लिया जा सकता है।

ऐसी दुखद परिस्थितियों के शारीरिक और भावनात्मक नुकसान को समझते हुए, राज्य सरकार की पहल का उद्देश्य प्रभावित कर्मचारियों को ठीक होने और उपचार के लिए आवश्यक समय प्रदान करना है। यह कदम कर्मचारी कल्याण, नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपने महिला कर्मचारियों के लिए स्वस्थ कार्य-जीवन संतुलन को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

इस नीति को लागू करके, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रगतिशील शासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है, अपने कर्मचारियों की भलाई को प्राथमिकता देती है और कठिन समय के दौरान महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करती है।

शैल समाचार
संपादक मण्डल

संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादकः जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: त्रटचा शर्मा

ऊना जिले में हत्याओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष का बयान तथ्यों के विपरीत

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर का यह ब्यान कि ऊना जिला में पिछले डेढ़ महीने में 15 हत्याएं हुई हैं, पूर्णत: निराधार, तथ्यों के विपरीत और भ्रामक है।

उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष वर्तमान प्रदेश सरकार पर बार-बार कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के आरोप लगा रहे हैं जो सच्चाई से हटकर है। उन्होंने ऊना में पिछले डेढ़ माह में 15 हत्याएं होने की बात कही है लेकिन वास्तविकता यह है कि इस अवधि के दौरान जिले में हत्या के केवल दो ही मामले सामने आए हैं। इनमें से एक पुलिस थाना बंगाणा और दूसरा पुलिस थाना गगरेट से संबंधित है।

प्रवक्ता ने कहा कि बंगाणा थाने में पंजीकृत मामले के आरोपी को हिरासत में लिया जा चुका है जबकि गगरेट में अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ था, जिसकी पहचान की जा रही है।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में जिला ऊना में हत्या के केवल छ: मामले पंजीकृत हुए, जिनमें से पांच मामलों में दोषियों को हिरासत में लिया जा चुका है जबकि एक मामले में जांच जारी है।

मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल कर्मचारियों के खिलाफ सरकार कर रही सख्त कारवाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के नेतृत्व में राज्य सरकार ने सख्त कानून लागू कर, समन्वित कारवाई और जन सहभागिता के माध्यम से मादक पदार्थों के दुरुपयोग और तस्करी से निपटने के अपने प्रयासों को तेज कर दिया है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि पुलिस विभाग ने विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के सहयोग से मादक पदार्थों के नेटवर्क को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है। अवैध संपत्तियों को जब्त किया गया है और स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ, अधिनियम (एनडीपीएस एक्ट) और पीआईटी एनडीपीएस अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराधियों के खिलाफ सख्त कानूनी कारवाई की गई है।

प्रदेश सरकार मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल पाए जाने वाले पुलिसकर्मियों और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कड़ी कारवाई कर रही है। प्रवर्तन उपायों के अलावा, लोगों को नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरों के बारे में शिक्षित करने के लिए नियमित रूप से जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में निवारक हिरासत के लिए 45 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जबकि 2022 तक कोई भी प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया और बार-बार अपराध करने वालों के खिलाफ चार हिरासत आदेश स्वीकृत किए गए। सरकार आगामी विधानसभा सत्र में हिमाचल प्रदेश नशा निरोधक अधिनियम पेश करने की भी योजना बना रही है, ताकि कानूनी प्रावधानों को मजबूत किया जा सके। इसका उद्देश्य बार-बार अपराध करने वालों पर सख्त दंड लगाना और नशे की लत के शिकार तथा पहली बार अपराध करने वाले नाबालिगों के पुनर्वास को बढ़ावा देना भी होगा।

प्रवक्ता ने कहा कि नशे से जुड़ी संपत्तियों पर नकेल कसते हुए राज्य सरकार ने वर्ष 2024 में 9 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति जब्त की और नशीली दवाओं की गतिविधियों से जुड़ी संपत्तियों को सील करने और ध्वस्त करने के लिए एक व्यवस्थित अभियान शुरू किया। नशीली दवाओं की आपूर्ति शृंखलाओं को और बाधित करने और तस्करी नेटवर्क को खत्म करने के लिए राज्य में पहली बार 40-50 स्थानों पर तलाशी की गई। सरकार जांच क्षमताओं को बढ़ाने के लिए फोरेंसिक प्रयोगशालाओं के उन्नयन को भी प्राथमिकता दे रही है।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन को मजबूत करने के लिए, राज्य सरकार ने नारकोटिक्स और संगठित अपराध पर एक विशेष कार्य बल (एसटीएफ) को मंजूरी दी है, जो नारकोटिक्स, नशीली दवाओं की तस्करी और संगठित अपराध पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए आवश्यक संसाधनों, शक्तियों और स्वायत्तता के साथ एक समर्पित इकाई होगी।

वर्ष 2024 के दौरान पुलिस विभाग ने 368.20 किलोग्राम चरस, 36.20 किलोग्राम अफीम, 11.14 किलोग्राम हेरोइन, 668.67 किलोग्राम पोस्त और 33.64 किलोग्राम गांजा जब्त किया। इसके अतिरिक्त, 37,20,654 भांग के पौधे और 3,78,152 पोस्त के पौधे नष्ट किए गए तथा 2,89,68,041 नशीली गोलियां भी जब्त की गई। पुलिस ने नशीली दवाओं से संबंधित गतिविधियों में शामिल 2515 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने तथा सख्त कानून प्रवर्तन, समन्वित कारवाई और सक्रिय सार्वजनिक भागीदारी के माध्यम से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को खत्म करने के लिए दृढ़संकल्प है।

नशे के खिलाफ सरकार व समाज को पूरा सहयोग देने का आग्रहःप्रतिभा सिंह

शिमला/शैल। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने प्रदेश के सभी लोगों से बढ़ते नशे, चिट्टे, चरस के खिलाफ एकजुट होकर आगे आने का आहवान करते हुए कहा है कि सभी राजनीतिक दलों को भी इसके खात्मे के लिये समाज व युवाओं की भलाई के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने भाजपा से इस गंभीर समस्या पर राजनीतिक हित न साधने व बढ़ते नशे के खिलाफ सरकार व समाज को अपना पूरा सहयोग देने का आग्रह किया है।

प्रतिभा सिंह ने प्रेस ब्यान में कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार चिट्टा व अन्य नशे के खात्मे के लिए पूरी मजबूती से कार्य कर रही है पुलिस भी पूरी सक्रीयता से नशे के तस्करों व इससे जुड़े लोगों की व्यापक धड़पकड़ कर रही है। प्रतिभा सिंह ने कहा है कि बढ़ते नशे के खिलाफ प्रदेश में एक जन जागरण अभियान चलाये जाने की बहुत जरूरत है, जिसमें अभिभावकों के साथ समाज के सभी वर्गों, युवक व महिला मंडलों, सामाजिक संस्थाओं, खेल संघों व युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित हो। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कुछ जगहों में पंचायतों में लोग नशे के खिलाफ अभियान छेड़ चुके हैं जो बहुत ही सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि युवाओं को इस नशे की लत से छुड़ाने के लिए उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर उन्हें उनकी जिंदगी के प्रति जागरूक करने की भी बहुत आवश्यकता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में यह नशा कहां से आ रहा है कौन इसे बेच रहा है उन सब पर कड़ी नज़र रखने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रदेश की सभी सीमाओं पर गहन तलाशी के साथ साथ गुप्त सूचना तंत्र को अधिक मजबूत किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज चिट्टा व अन्य नशे ने सैकड़ो लोगों की जान ले ली है जो बहुत ही चिंता की बात है।

प्रतिभा सिंह ने युवाओं का आहवान किया है कि उन्हें हर प्रकार के नशे से दूर रहकर अपने शारीरिक व बौद्धिक विकास के लिये खेलकूद व योगाभ्यास पर ध्यान देते हुए उन्हें अपना व अपने परिवार का भविष्य सुरक्षित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए।

उप-मुख्यमंत्री ने हसन वैली में व्यूइंग डेक के निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए

शिमला/शैल। उप-मुख्यमंत्रे मुकेश अग्निहोत्री ने शिमला के ढली के समीप हसन वैली में व्यूइंग डेक के निर्माण कार्य के लिए आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।

बैठक में अवगत करवाया गया कि 18 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत की डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को अन्तिम रूप प्रदान किया जा रहा है। इस परियोजना के तहत पहाड़ी की ओर से 9 रस्सियों की सहायता से लगभग 600 वर्ग मीटर का ग्लास व्यूइंग डेक निर्मित किया जाएगा, इसमें एक बार में लगभग 700 से 800 लोगों को सुविधा प्राप्त होगी। यह परियोजना वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र हसन वैली में निर्मित की जाएगी इसलिए वन संरक्षण के तहत इस भूमि को परिवर्तित करने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

उप-मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आगामी 10 दिनों के भीतर परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पूर्ण करने और इसे प्रशासनिक अनुमोदन, व्यय स्वीकृति और धन की व्यवस्था के लिए निदेशक पर्यटन को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित प्राधिकरण को परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिए एफआरए के अंतर्गत वन स्वीकृति के लिए इस भूमि को परिवर्तित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह परियोजना शिमला आने वाले पर्यटकों के लिए यह आकर्षण का केंद्र बनेगी।

बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरूद्ध सिंह विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि यह प्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी परियोजना है। प्रदेश सरकार द्वारा पर्यटन क्षेत्र के विकास को विशेष प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

कानून व्यवस्था सुधारने के लिए छः श्रेणियों में वर्गीकृत होंगे पुलिस थानेः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों की अनुपालना करते हुए प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 135 पुलिस थानों को छह श्रेणियों में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया है। जनसंख्या, भौगोलिक क्षेत्र, आपराधिक गतिविधियां, वीआईपी मूवमेंट, यातायात व्यवस्था, अंतर-राज्यीय सीमाएं और पर्यटकों की आमद जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए पुलिस थानों का वर्गीकरण करने का फैसला लिया गया है। इस पहल का उद्देश्य सेवा वितरण को बढ़ाना, कानून व्यवस्था में सुधार और सार्वजनिक सुरक्षा को मजबूत करना है।

पुलिस थानों को वार्षिक अपराध पंजीकरण की संख्या के आधार पर ए प्लस से ई कुल छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। प्रति वर्ष 250 से अधिक मामले दर्ज करने वाले थानों को ए प्लस की श्रेणी में रखा गया है और प्रदेश में इस प्रकार के 15 थानों की पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त ए श्रेणी में 5, बी में श्रेणी 25, सी श्रेणी में 47, डी में 28 और ई श्रेणी में 15 पुलिस थाने चिन्हित किए गए हैं।

पुलिस कर्मियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए भी पुलिस थानों का वर्गीकरण निर्धारित किया गया है। ए प्लस श्रेणी के थानों में कम से कम 70, ए श्रेणी में 65, बी श्रेणी में 48, सी श्रेणी में 37, डी श्रेणी में 25 और ई श्रेणी में 19 पुलिस कर्मी तैनात होंगे। प्रत्येक थाने में जांच अधिकारियों की संख्या एफआईआर पंजीकरण की आवृत्ति के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को इस नए वर्गीकरण के अनुसार पद भरने और पुलिस बल को तैनात करने के निर्देश दिए हैं ताकि आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाकर कानून व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। इस प्रयास से पुलिस की कार्यकुशलता में वृद्धि होने के साथ-साथ राज्य में सार्वजनिक सेवा में सुधार होगा।

कुल्लू में राज्य सरकार 80 करोड़ रुपये से विकसित करेगी रोपवे

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दूरदर्शी नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में विश्व स्तरीय पर्यटन अधोसंरचना को प्रतिबद्धता से विकसित कर रही है। जिला कुल्लू में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अभिनव प्रयास करते हुए सरकार ने कुल्लू बस अड्डे से पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक 80 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एरियल रोपवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कुल्लू जिला पीज गांव सड़क मार्ग से लगभग 12 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। उन्होंने कहा कि 1.20 किलोमीटर लंबे रोपवे के निर्मित होने से पर्यटकों और लोगों के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक परिवहन का विकल्प उपलब्ध होगा। पीज गांव रमणीय और अद्वितीय सौन्दर्य से परिपूर्ण लग घाटी का प्रवेश द्वार है और इस पहल से पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, जिससे स्थानीय लोगों की आर्थिकी सुदृढ़ होगी और साहसिक गतिविधियों में रूचि रखने वालों के लिए नए अवसर सृजित होंगे।

उन्होंने कहा कि रोपवे परियोजना के पूर्ण होने के उपरांत स्थानीय लोग और पर्यटक आसानी से पीज पैराग्लाइडिंग पॉइंट तक पहुंच सकेंगे। प्रदेश सरकार के प्रयासों से नवोदित और अनुभवी पैराग्लाइडर के लिए यह एक आदर्श गंतव्य बन जाएगा। यह परियोजना साहसिक, धार्मिक और जल आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के व्यापक प्रयासों की ओर एक और महत्त्वपूर्ण कदम है। राज्य की अर्थव्यवस्था में पर्यटन क्षेत्र महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राज्य सरकार प्रदेश में इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है। इसका उद्देश्य पर्यटकों को प्राकृतिक और अनछूंए गंतव्य स्थलों का अनुभव प्रदान करना है, इसके साथ प्रदेश सरकार प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण भी सुनिश्चित कर रही है।

राज्य सरकार की पर्यटन अधोसंरचना को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता पर बल देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इस क्षेत्र के हर संभव विकास और संसाधनों के उचित दोहन के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार के ठोस कदमों के फलस्वरूप राज्य में पर्यटकों की आमद में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिससे प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संबल मिल रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य में अलौकिक सौन्दर्य, नदियां, झीलें और पर्वतारोहन जैसे अनुभव लेने के लिए हर वर्ष लगभग 2 करोड़ सैलानी प्रदेश में आते हैं, जिससे हिमाचल प्रदेश में पर्यटन क्षेत्र पहले से अधिक गुलजार हो रहा है।

आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विश्व स्तरीय मशीनों-उपकरणों से होंगे लैसःस्वास्थ्य मंत्री

शिमला/शैल। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनी राम शांडिल ने उच्च स्तरीय क्रय समिति (एचपीपीसी) की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को विश्व स्तरीय मानकों की सभी आवश्यक मशीनों और उपकरणों से लैस करने के लिए दरअनुबंध निविदाएं जारी करने को स्वीकृति प्रदान की गई।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के नागरिकों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है और लोगों को बेहतर और अत्याधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शुमार है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को घर-द्वार के निकट सुगम और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। सरकार द्वारा प्रदेश में 69 आदर्श स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे है, जिसमें सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक-एक और लाहौल-स्पीति में दो आर्दश स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि समिति द्वारा राज्य में सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों में सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर सीटी स्कैन सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए निविदाएं खोलने को मंजूरी प्रदान की गई है। विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के लिए फेको मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय निविदाएं खोलने को भी मंजूरी दी गई। उन्होंने कहा कि समिति ने नवीनतम और बेहतरीन गुणवत्ता वाले उपकरण खरीदने के लिए स्वीकृति प्रदान की है। इसके अलावा, सरकार सभी प्रकार की मशीनरी की खरीद में पारदर्शिता सुनिश्चित कर रही है।

बैठक में स्वास्थ्य सचिव एम. सुधा देवी, निगम के प्रबंध निदेशक दिव्यांशु, सलाहकार अधोसंरचना अनिल कपिल और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

मानवता की महानता मानव होने में नहीं, बल्कि मानवीय होने में है।
..... महात्मा गांधी

सम्पादकीय

'एक देश एक चुनाव' की अभी वकालत के मायने?

इन दिनों भाजपा का प्रदेश नेतृत्व जिस तर्ज पर एक देश एक चुनाव की वकालत करने लग गया है उससे हर आदमी का ध्यान इस ओर जाना स्वभाविक है। क्योंकि एक देश एक चुनाव के मुद्दे पर विचार करके अपनी रिपोर्ट देना के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द की अध्यक्षता में केंद्र सरकार ने 2 सितम्बर 2023 को एक कमेटी का गठन किया था। इस कमेटी ने 191 दिनों के बाद 14 मार्च 2024 को 18626 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी थी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस रिपोर्ट को अपनी स्वीकृति देकर लोकसभा में पेश कर दिया था। लोकसभा में इसे संयुक्त संसदीय दल को सौंप दिया गया था। अभी यह रिपोर्ट संसदीय दल से वापस नहीं आयी है। संभव है कि संयुक्त संसदीय दल इस पर विचार करने के लिये और समय की मांग करें। जब तक संसदीय दल की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक यह मुद्दा आगे नहीं बढ़ेगा। फिर एक देश एक चुनाव लागू करने से पहले जनगणना किया जाना आवश्यक है और अभी तक इस दिशा में कोई व्यवहारिक कदम नहीं उठाये गये हैं। अभी महिलाओं को जो आरक्षण संसद और राज्य विधानसभाओं में देने का विधेयक पास हो रखा है उसे कब से लागू किया जाना है उसकी तारीख अभी तक घोषित नहीं हो पायी है। ऐसे में एक देश एक चुनाव के लिये अभी समय लगेगा यह तय है। लेकिन जिस तर्ज पर राज्य भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इसके लिये अभी से जमीन तैयार करने में लग गया है वह केंद्रीय निर्देशों के बिना संभव नहीं हो सकता।

इस पृष्ठभूमि में यह समझना आवश्यक हो जाता है कि इस समय इस मुद्दे को क्यों परोसा जा रहा है। अभी लोकसभा का अगला चुनाव तो 2029 में होना है। 2029 के चुनाव में भी इसे लागू करने के लिये संविधान की धारा 83,85, 172, 174 और 356 में संशोधन करने पड़ेंगे। दो तिहाई राज्य विधान सभाओं से इसे पारित करवाना पड़ेगा। कोविन्द कमेटी ने इस पर राज्यों से कोई विचार विमर्श नहीं किया है। सारे राजनीतिक दलों ने इस पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है। एक देश एक चुनाव के पक्ष में सबसे बड़ा तर्क यही है कि इससे चुनावों पर होने वाले खर्च में कमी आयेगी। खर्च के साथ ही अन्य संसाधनों में भी बचत होगी। लेकिन क्या संसद और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाने से चुनावों की निष्पक्षता पर उठने वाले सवाल स्वत: ही शान्त हो जायेंगे। इस समय चुनावों की निष्पक्षता पर उठते सवालों पर चुनाव आयोग से लेकर शीर्ष अदालत तक घेरे में आती जा रही है। आज आवश्यकता चुनावों पर विश्वसनीयता बढ़ाने की है जो हर चुनाव के बाद धटती जा रही है। वर्तमान चुनाव व्यवस्था पर लगातार विश्वास कम होता जा रहा है। इसी विश्वास घटने का परिणाम है कि 2019 के चुनावों में 303 का आंकड़ा पाने वाली भाजपा इस बार 240 से आगे नहीं बढ़ पायी है। क्योंकि भाजपा की राजनीतिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गये हैं।

विश्व गुरु होने का दावा करने वाले देश के साथ इन दिनों जिस तरह का व्यवहार अमेरिका का ट्रंप प्रशासन कर रहा है उससे प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों पर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गये हैं। एक समय अबकी बार ट्रंप सरकार का आहवान कर चुके मोदी को इस बार ट्रंप के शपथ समारोह में शामिल होने के लिये आमंत्रण न मिल पाना पहला सवाल है। दूसरा सवाल अवैध अप्रवासी भारतीयों को हथकड़ियां और बेड़ियां पहना कर अमेरिका से भेजा गया। भारत इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्ज करवा पाया है। तीसरा सवाल यू एस एड के तहत करीब 182 करोड रूपये मिलने को लेकर आये खुलासे हैं। इसी कड़ी में जब नरेंद्र मोदी का यह वक्तव्य सामने आया कि उन्होंने 1994 तक अमेरिका के 29 राज्यों का दौरा कर लिया था जब वह एक सामान्य नेता भी नहीं थे। इस खुलासे से उनके चाय बेचने और अपना गुजारा चलाने के लिये और कुछ करने के दावों पर प्रश्न उठ गये हैं। यह सारे प्रश्न आने वाले समय में और गंभीर तथा विस्तार लेकर सामने आयेंगे। क्योंकि यह सवाल उठने लग गया है कि मोदी सरकार द्वारा लिया गया हर फैसला परोक्ष/अपरोक्ष में अमेरिकी हितों के बढ़ाने वाला रहा है। जिससे कालान्तर में देश अमेरिका की आर्थिक गुलामी की ओर बढ़ेगा। जैसे-जैसे यह सवाल बढ़ेंगे उसी अनुपात में भाजपा और मोदी की विश्वसनीयता कम होती जायेगी। इस स्थिति से बचने के लिये देश में भाजपा और मोदी के विकल्प पर बहस उठने से पहले ही देश में कुछ ऐसे मुद्दे खड़े कर दिये जायें जहां उनके विकल्प पर ही एक राय न बन सके।

आपसी विश्वास को मजबूत बनाएगा इंटरफेथ संवाद, इससे कट्टरता पर भी लगेगा अंकुश

गौतम चौधरी

भारत में कट्टरपंथीकरण और चरमपंथी विचारधाराओं की बढ़ती चुनौती सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है। हालांकि कट्टरपंथ की जड़ें अलग-अलग जैसे धार्मिक, सामाजिक-राजनीतिक और आर्थिक हो सकती है, परंतु इसके परिणाम समान रूप से विनाशकारी ही होते हैं। जब से कट्टरवाद का विकास और विस्तार होने लगा है जब से एक प्रश्न लगातार उठ रहा है कि भारत अपने लोकतांत्रिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता को संरक्षित करते हुए प्रभावी रूप से कट्टरता का मुकाबला कैसे कर सकता है? विशेषज्ञों के द्वारा इसके समाधान के कई रास्ते बताए गए हैं। जैसे -कट्टरपंथीकरण के मार्गों की खोज करके उस मार्ग में अवरोध पैदा करना, चरमपंथी समूहों के मोडस ऑपरेंडी और विभिन्न हितधारकों की भूमिकाएं चिह्नित कर उसके खिलाफ कारवाई करना, कट्टरपंथी ढ़ांचों को समाप्त करना और कट्टरता के खिलाफ लोगों के बीच चिंतन की सकारात्मक अवधारणा प्रस्तुत करना।

कट्टरवाद का मुकाबला करने के लिए सबसे बेहतर तरीका शिक्षा है। इसके लिए समावेशी आख्यानों को बढ़ावा देना और भारत के धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक लोकाचार को बनाए रखने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। एक अध्ययन में बताया गया है कि भारत में कट्टरपंथी अक्सर सामाजिक-आर्थिक असमानताओं, पहचान संकटों और विभाजनकारी आख्यानों के संयोजन से उपजते हैं। गरीबी, भेदभाव और सीमित अवसरों से जूझ रहे हाशिए के समुदाय, विशेष रूप से चरमपंथी प्रचार के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। सांप्रदायिक तनाव, जाति-आधारित भेदभाव और क्षेत्रीय असमानताएं इन कमजोरियों को बढ़ाती हैं, जिससे आर्थिक रूप से पिछड़े युवाओं को लगने लगता है चरमपंथ ही हमारा उद्धार कर सकता है। वहां हमें न्याय प्राप्त होगा और यही चिंतन कट्टरता को बढ़ाने में सहायक साबित होता चला जाता है।

चरमपंथी समूह अकसर अपने एजेंडों के लिए धार्मिक शिक्षाओं की नकारात्मक व्याख्या प्रस्तुत करके लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। इस्लामी, हिंदू और अन्य विश्वास-आधारित सिद्धांतों की गलत व्याख्या का उपयोग हिंसा को उकसाने या बहिष्कृत विचारधाराओं को सही ठहराने के लिए किया जाता है। यह हेरफेर इंटरफेथ हार्मनी को कमजोर करता है और इन धर्मों में निहित शांति और सह -अस्तित्व के मूल मूल्यों को मिटा देता है। इसके अलावा, डिजिटल मीडिया के प्रसार ने चरमपंथी विचारधाराओं की पहुंच को बहुत बढ़ा दिया है। आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, बेहद शातिराना तरीके से नकारात्मक प्रचार फैलाने, अनुयायियों की भर्ती और व्यक्तियों को कट्टरपंथी बनाने के लिए औजार के रूप में काम करने लगा है।

प्रभावी रूप से कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए, विभिन्न हितधारकों को शामिल करने वाला एक बहुआयामी दृष्टिकोण अनिवार्य है। धार्मिक और सामुदायिक संगठन, विश्वास की समावेशी व्याख्याओं को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता हैं। करुणा, न्याय और संगठन चरमपंथी आख्यानों का मुकाबला करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए, जमीत उलमा-ए-हिंद और अखिल भारतीय संत समिति ने सांप्रदायिक विभाजन को पाटने और शांति को बढ़ावा देने के लिए संवादों की शुरुआत की है। विद्वानों और मौलवियों को अपने विश्वास के वास्तविक सिद्धांतों के बारे में जनता को शिक्षित करने के लिए कार्यशालाओं और अभियानों का संचालन करके इन प्रयासों को और बढ़ा सकते हैं।

सामाजिक-आर्थिक मुद्दो को संबोधित करना, हाशिए की भावनाओं को कम करने के लिए आवश्यक है जो कट्टरपंथीकरण की ओर ले जाते हैं। समावेशी विकास पहल, जैसे कि स्किल इंडिया मिशन और अल्पसंख्यक कल्याण कार्यक्रम, रोजगार के अवसर पैदा करके और शिक्षा तक पहुंच प्रदान करके वंचित समुदायों को सशक्त बना सकते हैं। इन प्रयासों को मूर्त तथा परिणामों को सुनिश्चित करने के लिए कमजोर क्षेत्रों की ओर लक्षित किया जाना चाहिए। समुदायों को स्वयं कट्टरता के शुरुआती संकेतों की पहचान करने और संबोधित करने में एक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। जमीनी स्तर की पहल संवाद, आपसी समझ और सामूहिक समस्या-समाधान को बढ़ावा देने वाली पहल चरमपंथी प्रभावों के खिलाफ एक बेहतर विकल्प प्रदान कर सकता है।

डिजिटल क्षेत्र चरमपंथी प्रचार का मुकाबला करने में एक शक्तिशाली उपकरण हो सकता है। सरकारी एजेंसियों और नागरिक सामाजिक संगठनों को आकर्षक ऑनलाइन सामग्री बनाने में सहयोग करना चाहिए। इससे कट्टरपंथी विचारधाराओं को चुनौती देने में आसानी होगी। 'इंडिया अगेंस्ट टेरर' जैसे अभियानों ने सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर चरमपंथ के खिलाफ सार्वजनिक राय को प्रभावी ढंग से बढ़ावा दिया है। शिक्षा भी कट्टरता को रोकने में एक महत्वपूर्ण घटक है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों में महत्वपूर्ण सोच को बढ़ावा देने की जरूरत है। मीडिया साक्षरता और बहुलवाद और लोकतंत्र के मूल्यों पर जोर देना चाहिए। ऐसे सुधारों को पेश करने की जरूरत है, जिसमें नैतिक शिक्षा, समकालीन मुद्दों पर बहस और सामुदायिक सेवा कार्यक्रम शामिल हों। संस्थान छात्रों में समावेशिता और जिम्मेदारी की भावना पैदा कर सकते हैं।

धार्मिक नेता अपने समुदायों के बीच शांति और मानवता जैसे विषयों पर जोर दें। अपने धर्म की प्रामाणिक शिक्षाओं को पुन: प्राप्त करने और बढ़ावा देने में लोगों को सहयोग करें। चरमपंथी समूहों द्वारा प्रचारित गलत व्याख्याओं को सीधे चुनौती दें। विश्वसनीय और रचनात्मक विकल्प प्रदान करें। उदाहरण के लिए, अखिल भारतीय मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस्लामी सिद्धांतों के वास्तविक सार को उजागर करने के लिए जागरूकता अभियान प्रारंभ किया है। धार्मिक संगठन स्थानीय सरकारी अधिकारियों के साथ मिलकर कट्टरपंथीकरण के शुरुआती संकेतों की पहचान करें और उसका शक्ति से मुकाबला करें। केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में डी-रेडिकलाइज़ेशन कार्यक्रमों ने चरमपंथी विचारधाराओं से प्रभावित व्यक्तियों को पुनर्वास करने में सफलता प्राप्त की है। उन्हें समाज में रचनात्मक भागीदारी के लिए प्रेरित किया जा रहा है। विभिन्न समुदायों के बीच गलतफहमी दूर करने के लिए इंटरफेथ संवाद जरूरी है। विश्वास नेताओं के बीच नियमित बातचीत, नागरिक समाज संगठनों द्वारा सुविधा, आपसी सम्मान और साझा लक्ष्यों को बढ़ावा दे सकती है। विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों द्वारा शुरू किया गया 'सद्भव मिशन' इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देने के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा, शासन और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में नागरिकों को शामिल करना लोकतंत्र को मजबूत करता है।

भारत में कट्टरता के खिलाफ लड़ाई के लिए एक समग्र और सहयोगी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को संबोधित करके, समावेशी आख्यानों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ावा देने से भारत एक लचीला समाज का निर्माण कर सकता है जो अतिवाद को अस्वीकार करता है। धार्मिक संगठनों, नागरिक समाज और सरकार को देश के विविधता, धर्मनिरपेक्षता और एकता के मूल्यों को बनाए रखने के लिए एक साथ काम करना चाहिए। शिक्षा और सशक्तिकरण के माध्यम से, भारत तेजी से ध्रुवीकृत दुनिया में शांति और सह-अस्तित्व को बढ़ावा देने वाले राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है। हमें इस दिशा में और व्यापक पहल करने की जरूरत है।

''शैल'' साप्ताहिक के स्वामित्व एवं अन्य विषयों से सम्बन्धित विवरण

1. प्रकाशन स्थान	:	शैल कार्यालय ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, लक्कड़ बाजार शिमला
2. प्रकाशन अवधि	:	साप्ताहिक
3. मुद्रक का नाम	:	बलदेव शर्मा
4. राष्ट्रीयता	:	भारतीय
5. प्रकाशक का नाम	:	बलदेव शर्मा
6. पता	:	ऋचा पिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज, रिवोली बस स्टैण्ड लक्कड़ बाजार शिमला
7. सम्पादक का नाम	:	बलदेव शर्मा
8. उन व्यक्तियों के नाम और पते जो समाचार पत्र के स्वामी और भागीदार या कुल पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक सांझेदार/हिस्सेदार हों	:	कोई नहीं

मैं बलदेव शर्मा घोषणा करता हूँ कि मेरी जानकारी के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

(बलदेव शर्मा)

भारत में बढ़ती भगदड़ जैसी आपदा का प्रबंध करना समय की मांग

राजन कुमार शर्मा

जैसा की भारतवर्ष की धरती पर 12 साल बाद उत्तर प्रदेश के त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से अद्भुत घटना है। इसका अंतिम पवित्र स्नान 26 फरवरी महाशिवरात्रि के उपलक्ष में होगा। अब तक लगभग 65 करोड लोगों ने इस आस्था की पवित्र डुबकी में भाग लिया है। परन्तु इसके साथ ही महाकुंभ में भगदड़ जैसी आपदा घटित होने पर लगभग 30 लोगों की मृत्यु और 60 लोगों के घायल होना अत्यंत दुखद एवं अविस्मरणीय है, इसके साथ ही दिल्ली रेलवे स्टेशन में अफवाह और भगदड़ में लगभग 18 लोगों की मृत्यु भी शामिल है जिसमें की श्रद्धालु महाकुंभ में पवित्र स्नान करने के लिए दिल्ली से प्रयागराज जा रहे थे। आइए इस आपदा के संबंध में विस्तृत रूप से समझते हैं:

भगदड़ क्या है?

इसके बारे में: भगदड़ भीड़ का एक आवेगपूर्ण सामूहिक आन्दोलन है जिसके परिणामस्वरूप अक्सर चोटें और मौतें होती हैं। यह अक्सर किसी कथित खतरे, भौतिक स्थान की हानि और संतुष्टिदायक कुछ पाने की सामूहिक इच्छा की प्रतिक्रिया से शुरू होता है। प्रकार: भगदड़ के दो मुख्य प्रकार हैं: एकतरफा भगदड़ तब होती है जब एक ही दिशा में आगे बढ़ रही भीड़ अचानक बल में बदलाव का सामना करती है, जो अचानक रुकने या टूटे हुए अवरोधों जैसी नकारात्मक शक्तियों से शुरू होती है। अशांत भगदड़ अनियंत्रित भीड़, प्रेरित घबराहट या कई दिशाओं से भीड़ के विलय की स्थिति में होती है। भगदड़ में मौतें: भगदड़ के कारण मौतें हो सकती हैं: दर्दनाक श्वासावरोध: यह सबसे आम कारण है जो वक्ष या ऊपरी पेट के बाहरी संपीड़न के कारण होता है। एक दिशा में धक्का देने वाले 6 – 7 लोगों की मध्यम भीड़ में भी हो सकता है। अन्य कारण: मायोकार्डियल इंफार्क्शन (दिल का दौरा), आंतरिक अंगों को सीधे कुचलने वाली चोटें, सिर में चोट और गर्दन का दबाव। भगदड़ में योगदान देने वाले कारक: मनोवैज्ञानिक कारक: भगदड़ का प्राथमिक ट्रिगर या प्रवर्धक घबराहट है। आपात स्थितियों में सहयोगात्मक व्यवहार का नुकसान। घबराहट पैदा करने वाली स्थितियों में, सहयोग शुरू में फायदेमंद होता है। एक बार जब सहयोगात्मक व्यवहार में गड़बड़ी होती है, तो व्यक्तिगत जीवित रहने की प्रवृत्ति हावी हो जाती है और भगदड़ मच जाती है। पर्यावरण और डिजाइन तत्व: उचित प्रकाश व्यवस्था का अभाव। भीड़ के प्रवाह का खराब प्रबंधन (विभिन्न समूहों के लिए भीड़ के प्रवाह को विभाजित करने में विफलता)। बाधाओं या इमारतों का ढहना। अवरुद्ध निकास या निकासी मार्ग। आग का खतरा। उच्च भीड़ घनत्व, जब घनत्व प्रति वर्ग मीटर 3 – 4 व्यक्ति तक पहुँच जाता है। इस घनत्व पर, निकासी का समय नाटकीय रूप से बढ़ जाता है, जिससे घबराहट और भगदड़ का खतरा बढ़ जाता है।

भगदड़ का प्रभाव:

मनोवैज्ञानिक आघात: जीवित बचे लोगों और गवाहों को दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक आघात का अनुभव हो सकता है, जिसमें पोस्ट – ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) शामिल है। आर्थिक परिणाम: भगदड़ मुख्य रूप से आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को प्रभावित करती है, जिससे परिवार बिना कमाने वाले के रह जाते हैं और समुदाय में महत्वपूर्ण आर्थिक कठिनाई पैदा होती है। चिकित्सा व्यय, मुआवज़ा, कानूनी लागत और चोटों के कारण आर्थिक उत्पादकता में कमी। सामाजिक प्रभाव: इसमें इवेंट आयोजकों और अधिकारियों में विश्वास की कमी, सामाजिक अशांति और दोष, और समुदाय के मनोबल और सामंजस्य पर नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। इसके परिणाम दूरगामी हो सकते हैं, जिसके लिए अंतर्निहित मुद्दों को संबोधित करने और इसी तरह की घटनाओं को रोकने के प्रयासों की आवश्यकता होती है। बुनियादी ढांचे पर प्रभाव: यह भौतिक बुनियादी ढांचे, जैसे कि बाधाओं और इमारतों को नुकसान पहुंचा सकता है। बुनियादी ढांचे की मरम्मत और उन्नयन से जुड़ी लागतें महत्वपूर्ण हो सकती हैं।

भगदड़ को नियंत्रित करने के लिए भारत सरकार की पहल क्या हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) त्योहारों के मौसम में भीड़ के सुरक्षित प्रबंधन और सावधानियों के लिए दिशा – निर्देश प्रदान करता है। यातायात और भीड़ प्रबंधन: NDMA ने यातायात को नियंत्रित करने, मार्ग मानचित्र प्रदर्शित करने और उत्सव स्थलों के आसपास पैदल यात्रियों के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड्स का उपयोग करने की सलाह दी है। सुरक्षा उपाय: अपराधों को रोकने के लिए CCTV निगरानी और पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने पर जोर देते हुए, NDMA ने आयोजकों से अनधिकृत पार्किंग और स्टॉल को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने का आग्रह किया है। चिकित्सा संबंधी तैयारी: NDMA ने एम्बुलेंस को स्टैंडबाय पर रखने और चिकित्सा कर्मचारियों को तैयार रखने की सिफारिश की है, साथ ही पास के अस्पतालों की ओर स्पष्ट संकेत भी लगाये हैं। भीड़ से सुरक्षा के सुझाव: सभाओं के दौरान उपस्थित लोगों को निकास मार्गों और शांत व्यवहार के बारे में शिक्षित करते हुए, NDMA ने भगदड़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों पर जोर दिया है। अग्नि सुरक्षा: NDMA ने आग को रोकने के लिए सुरक्षित विद्युत वायरिंग, LPG सिलेंडर के उपयोग की निगरानी और आतिशबाजी के साथ सावधानी बरतने जैसी सावधानियों पर प्रकाश डाला है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण: एनडीएमए आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (यूएनआइ एसडीआर) के सहयोग से एशियाई मंत्रिस्तरीय सम्मेलन जैसे सरकारी पहलों और आगामी सम्मेलनों का समर्थन करता है, जो आपदा लचीलेपन पर ध्यान केंद्रित करता है और सेंडाई ढांचे को मान्यता देता है। सामुदायिक जिम्मेदारी: एनडीएमए आपदा की रोकथाम और उत्सव के आयोजनों के दौरान सुरक्षा को बढ़ावा देने में सामूहिक जिम्मेदारी को रेखांकित करता है। माता वैष्णो देवी तीर्थस्थल (2022): कश्मीर में एक हिंदू तीर्थयात्रा के दौरान भीड़ उमड़ने से 12 लोगों की मौत हो गई। मुंबई पैदल यात्री पुल (2017): भीड़भाड़ के समय भगदड़ में 22 लोगों की मौत हो गई। वाराणसी पुल (2016): धार्मिक समारोह के लिए भीड़भाड़ वाले पुल को पार करते समय 24 लोगों की मौत हो गई। गोदावरी नदी (2015): हिंदू स्नान उत्सव के दौरान भगदड़ में 27 लोगों की मौत हो गई। रतनगढ़ मंदिर (2013): पुल ढहने से मची भगदड़ में 115 लोगों की मौत हो गई। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन (2013): कुंभ मेले के दौरान प्लेटफॉर्म बदलने के कारण 36 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर मंदिर (2008): नवरात्र उत्सव के दौरान भगदड़ में 168 लोगों की मौत हो गई। वाई टेम्पल (2005): भगदड़ और उसके बाद लगी आग में 258 लोगों की जान चली गई। 3 अक्तूबर 2014 को एक धार्मिक आयोजन के अंतर्गत दशहरा मेला गांधी मैदान, पटना में 33 लोगों की मृत्यु हुई, 25 अगस्त 2014 सतना मध्य प्रदेश में एक मंदिर में धार्मिक परिक्रमा उत्सव के दौरान मची भगदड़ में 10 लोगों की मृत्यु हुई, 18 जनवरी 2014 मालाबार हिल मुंबई में एक धार्मिक नेता के अंतिम विदाई कार्यक्रम में हुई भगदड़ में 18 लोगों की मृत्यु हुई, अक्तूबर 2013 को मध्य प्रदेश के रतनगढ़ दतिया में एक पुल की रेलिंग टूट जाने के कारण 121 लोगों की मृत्यु हुई, फरवरी 2013 में उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद रेलवे स्टेशन में धार्मिक कर्म से हुई भगदड़ में 37 लोग मारे गए, फरवरी 2012 में गुजरात के जूनागढ़ मंदिर में हुई भगदड़ से 6 लोगों की मृत्यु हुई, नवंबर 2012 में पटना बिहार में एक छठ पूजा धार्मिक आयोजन के दौरान लगभग 18 लोगों की मृत्यु हुई, नवंबर 2011 को धार्मिक स्थल हरिद्वार में भगदड़ से 22 लोगों की मृत्यु हुई, जनवरी 2011 को केरल के सबरीमाला स्थित मकर ज्योति धार्मिक स्थल पर भगदड़ से 104 लोगों की मृत्यु हुई, मार्च 2010 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ स्थित राम जानकी धार्मिक मंदिर में मुफ्त राहत सामग्री वितरण के दौरान हुई भगदड़ से 70 लोगों की मृत्यु हुई, अगस्त 2008 हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिला स्थित प्रसिद्ध शक्तिपीठ नैना देवी में अफवाह के कारण मची भगदड़ में 138 लोगों की मृत्यु हुई, मार्च 2008 में मध्य प्रदेश के करीला गांव में हुई भगदड़ से आठ लोगों की मृत्यु हुई, जुलाई 2008 उड़ीसा के पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में हुई भगदड़ से लगभग 6 लोगों की मृत्यु हुई, सितंबर 2008 में राजस्थान के जोधपुर स्थित श्री चामुंडा देवी मंदिर में भगदड़ से 147 लोगों की मृत्यु हुई, अक्तूबर 2007 उत्तरी भारत के रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ से 14 लोगों की मृत्यु हुई, दिसंबर 2005 में दक्षिण भारत में बाढ़ प्रभावितों को खाद्य सामग्री वितरण के दौरान भगदड़ से लगभग 45 लोगों की मृत्यु हुई, जनवरी 2005 को महाराष्ट्र के मंदार देवी मंदिर में भगदड़ से 265 लोगों की मृत्यु हुई, अगस्त 2003 को महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले में भगदड़ में 40 लोगों की मृत्यु हुई, सितंबर 2002 को चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुई भगदड़ से 19 लोगों की मृत्यु हुई, जनवरी 1999 को केरल राज्य के सबरीमाला में धार्मिक आयोजन के उपरांत 52 लोगों की मृत्यु हुई, जनवरी 1997 को दिल्ली के उपहार सिनेमा में आग लगने से हुई भगदड़ में 59 लोगों की मृत्यु हुई, जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर में भगदड़ से 39 लोगों की मृत्यु दर्ज की गई, फरवरी 1997 को उड़ीसा के बारीपाडा स्थित एक धार्मिक स्थल पर मची भगदड़ में लगभग 206 लोगों की मृत्यु हुई, दिसंबर 1995 में हरियाणा के डबवाली में एक स्कूल कार्यक्रम के दौरान टेंट में आग लग जाने के कारण व भगदड़ से लगभग 446 बच्चों की मृत्यु हुई, उत्तर प्रदेश राज्य के हाथरस में हुई भयंकर भगदड़ से लगभग 100 लोगों की मृत्यु हुई।

भगदड़ को रोकने के लिए क्या बेहतर किया जा सकता है? वास्तविक समय घनत्व निगरानी: वास्तविक समय में भीड़ घनत्व की निगरानी के लिए सेंसर (थर्मल, LiDAR) का एक नेटवर्क तैनात करें। यह डेटा भीड़ के बढ़ने की भविष्यवाणी करने और प्रारंभिक चेतावनियों को ट्रिगर करने के लिए AI मॉडल में फीड किया जा सकता है। टिकटों या रिस्टबैंड में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) टैग पेश करें। यह भीड़ की आवाजाही की वास्तविक समय ट्रैकिंग, भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों की पहचान करने और डिस्प्ले के माध्यम से लक्षित संचार को सक्षम करने की अनुमति देता है। वास्तविक समय में भीड़ की निगरानी और विसंगति का पता लगाने के लिए उच्च – रिज़ॉल्यूशन कैमरों और थर्मल इमेजिंग से लैस ड्रोन का उपयोग करें। ये बड़ी स्क्रीन पर शांत संदेश या घोषणाएँ भी प्रोजेक्ट कर सकते हैं। बुद्धिमान प्रकाश व्यवस्था: भीड़ – संवेदनशील प्रकाश व्यवस्था लागू करें जो आंदोलन या शांत स्थितियों को निर्देशित करने के लिए भीड़ घनत्व के आधार पर चमक और रंग को समायोजित कर सकती है। बायोल्यूमिनसेंट सामग्रियों से एम्बेडेड पाथवे और वॉकवे लागू करें जो आपात स्थिति के मामले में स्वचालित रूप से चमकते हैं। यह आंदोलन को निर्देशित कर सकता है और कम रोशनी की स्थितियों में घबराहट को कम कर सकता है। इंटरैक्टिव संचार डिस्प्ले: इंटरैक्टिव डिस्प्ले स्थापित करें जो वास्तविक समय प्रतीक्षा समय, निकासी मार्ग और कई भाषाओं में आवश्यक जानकारी दिखाते हैं। अभियान: लोगों को भीड़ सुरक्षा प्रोटोकॉल और बड़ी सभाओं के दौरान उचित व्यवहार के बारे में शिक्षित करने के लिए जन जागरूकता अभियान शुरू करें। किसी भी आपातकालीन या आकस्मिक स्थिति में आम जनता पूरे भारत में सार्वभौमिक आपातकालीन संपर्क नंबर यानी: 1077, 1070 और 112 पर संपर्क किया जा सकता है।

ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में पहाड़ी राज्यों को विशेष नीति बनाने की पैरवी:मुकेश अग्निहोत्री

शिमला/शैल। राजस्थान के उदयपुर में आयोजित दूसरे ऑल इंडिया स्टेट वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस (18 व 19 फरवरी) में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने जल सुरक्षा के लिए दीर्घकालिक एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने की

आवश्यकता पर बल दिया। 'इंडिया – 2047 – ' जल सुरक्षित राष्ट्र' विषय पर अपने संबोधन में उन्होंने जल संकट, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों और नवाचार आधारित समाधान की आवश्यकता को रेखांकित किया, जिससे जल प्रबंधन को अधिक स्थायी बनाया जा सके।

सम्मेलन के पहले दिन अपने उद्बोधन में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों का सामना करने के लिए पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष नीति बननी चाहिए। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि असमय बारिश और कम बर्फबारी के कारण जल स्रोतों का जल स्तर लगातार घटता जा रहा है।

वैज्ञानिक अध्ययनों का हवाला देते हुए उप मुख्यमंत्री ने बताया कि हिमालयी ग्लेशियर प्रति दशक 20 – 30 मीटर की दर से पिघल रहे हैं, जिससे नदी प्रवाह में अनिश्चितता बढ़ रही है और जल संकट गहरा हो रहा है। इससे पीने के पानी, सिंचाई और जलविद्युत उत्पादन पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उन्होंने जलवायु – सहिष्णु नीतियों और उन्नत वैज्ञानिक हस्तक्षेपों की आवश्यकता पर ज़ोर दिया।

उन्होंने कहा कि हमें अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। हमें पारम्परिक जल स्रोतों के संरक्षण के साथ – साथ आधुनिक तकनीक, नवाचारों और विकल्पों पर विचार करना होगा।

उप – मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल का 65 प्रतिशत हिस्सा वन क्षेत्र के तहत आता है जो केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जिससे विकास परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सीमित हो जाती है। वनों के संरक्षण के रूप में हिमाचल प्रदेश का जल संरक्षण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी को बचाने में बड़ा योगदान है। इसकी एवज़ में केन्द्र द्वारा हिमाचल को विशेष पैकेज दिया जाना चाहिए जो पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक और दुर्गम परिस्थितियों के अनुकूल हो। उप – मुख्यमंत्री ने राज्य की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता को दोहराते हुए नीतिगत ढील और विशेष विकास प्रोत्साहन की आवश्यकता पर बल दिया जिससे पर्यावरणीय संतुलन और बुनियादी ढांचे के विकास के बीच संतुलन बना रहे।

अग्निहोत्री ने कहा कि हमने हर घर नल तो पहुंचा तो दिये हैं लेकिन हर नल में जल पहुंचाना बड़ी चुनौती है। पानी की कमी को पूरा करने के लिए हमें वर्षा जल संग्रहण और जल स्रोत पुनर्भरण संरचनाओं को प्रोत्साहित करना होगा इसके लिए पहाड़ी राज्यों के लिए विशेष केन्द्रीय सहयोग मिलना चाहिए। उन्होंने पहाड़ी राज्यों के लिए दिये जाने वाले केन्द्रीय अनुदान में निर्धारित मापदण्डों को लचीला करने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा कि देश भर के लिए समान रूप से तैयार की गई नीति को अमल में लाना पहाड़ी राज्यों के लिए संभव नहीं हो पाता है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों के मुकाबले पहाड़ी राज्यों की जटिल भौगोलिक बनावट और दुर्गम परिस्थितियों में निर्माण लागत और अन्य व्यय अधिक होता है।

उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत अधूरी पड़ी लगभग 1000 पेयजल आपूर्ति योजनाओं को पूरा करने के लिए 2000 करोड़ रुपये की मांग की। उन्होंने उच्च पर्वतीय राज्यों के लिए एक विशेष फंडिंग विंडो बनाने का प्रस्ताव रखा जिससे हिमाचल के किन्नौर, लाहौल – स्पीति और चम्बा के जनजातीय और ठण्डे क्षेत्रों में 12 महीने निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एंटी – फ्रीज़ जल आपूर्ति योजनाओं का निर्माण किया जा सके जिनमें इन्सुलेटेड पाइपलाइन, हीटेड टैप सिस्टम और सौर – चालित पंप शामिल हैं।

उन्होंने हिमाचल द्वारा बर्फ एवं जल संरक्षण के लिए 1269.29 करोड़ रुपये और सूखे और खराब पड़े लगभग 2000 हैंडपंपों और टयूबवेलों के माध्यम से 'भूजल के पुनर्भरण' के लिए तैयार की गई एक विस्तृत परियोजना को अमल में लाने के लिए भी केन्द्र सरकार से वित्त पोषण की मांग की।

उप – मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 90 फीसदी से अधिक ग्रामीण आबादी है। जिनमें से 67 प्रतिशत आबादी की आजीविका कृषि, बागवानी और सब्ज़ी उत्पादन पर निर्भर है। आधुनिक खेती में सिंचाई की ज़रूरतों को देखते हुए सिंचाई योजनाओं को बढ़ावा देना पड़ेगा। उन्होंने केंद्रीय स्वीकृति के लिए लम्बित पड़ी पीएमकेएसवाई – हर खेत को पानी और पीएमकेएसवाई और एआईबीपी के अंतर्गत प्रस्तावित नई सतही लघु सिंचाई और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं को जल्द से जल्द मंज़ूरी देने का भी आग्रह किया।

उप – मुख्यमंत्री ने रेखांकित किया कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण उपनगरीय क्षेत्रों में जल और स्वच्छता की गंभीर चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं। उप – मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्तमान योजनाएं जैसे 'जल जीवन मिश' और 'अमृत' इन क्षेत्रों की जलापूर्ति और सीवरेज आवश्यकताओं को पूरी तरह कवर नहीं कर पाती। उपनगरीय इलाकों में जल और स्वच्छता की सुविधाएं मुहैया करवाने व इन क्षेत्रों में व्यापक सीवरेज और स्वच्छता सेवाएं बढ़ाने के लिए उन्होंने अलग मानदंड और समर्पित वित्तीय सहायता की मांग की।

उप मुख्यमंत्री ने 'इंडिया – 2047 – जल सुरक्षित राष्ट्र' की दिशा में संकल्प के लिए हिमाचल प्रदेश की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय सरकार से अधिक उदार फंडिंग और लचीली नीतिगत सहायता की तत्काल आवश्यकता को इंगित किया।

शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगा हिमाचल:शिक्षा मंत्री

शिमला/शैल। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण, समान और समावेशी शिक्षा प्रदान करने के लिए यूनेस्को के साथ साझेदारी करेगी। सरकार शिक्षा प्रणाली में और अधिक सुधार लाने के लिए सहयोग के संभावित क्षेत्रों का पता लगाएगी और यूनेस्को के साथ शीघ्र ही एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। वह आज

यहां यूनेस्को के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

शिक्षा मंत्री ने कहा कि शिक्षा हमेशा से इस पहाड़ी राज्य की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 83 प्रतिशत से भी अधिक है जबकि वर्ष 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के समय हमारी साक्षरता दर मात्र 7 प्रतिशत थी। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा की गुणवत्ता में कुछ हद तक गिरावट देखने में आई है। इसके दृष्टिगत वर्तमान प्रदेश सरकार ने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए विभिन्न सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इन प्रयासों के उत्साहजनक परिणाम देखने को मिल रहे हैं और हाल ही में जारी राष्ट्रीय रिपोर्ट में भी इसकी पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने कुल राज्य बजट का लगभग 20 प्रतिशत अकेले शिक्षा क्षेत्र के लिए आवंटित किया है, जो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से राजीव गांधी डे – बोर्डिंग स्कूल खोल रही है, जहां सभी आधुनिक सुविधाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध होंगी, ताकि छात्र आत्मविश्वास के साथ जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकें।

उन्होंने कहा कि प्रदेश के छात्रों में सीखने का स्तर सबसे अधिक है तथा शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक समय की मांग के अनुसार सुधार किए जा रहे हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि यूनेस्को के साथ दीर्घकालिक साझेदारी इन प्रयासों को और मजबूत करेगी।

शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने कहा कि विभिन्न शिक्षण संस्थानों से एक ही शिक्षक को चुनने के बजाय, किसी विशेष संस्थान के सभी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे एक टीम के रूप में कार्य करके बेहतर परिणाम ला सकें। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षण संस्थान बुनियादी सुविधाओं से युक्त हैं, इनमें उच्च नामांकन दर है और प्राथमिक विद्यालयों में लिंगानुपात सामान्य है। इसके अलावा प्रदेश के दूरस्थ गांव तक सरकारी स्कूलों की पहुंच है तथा व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा आधारित पाठयक्रम भी पूरे राज्य में सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश सरकार ने स्कूलों के कलस्टर बनाए हैं जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहे हैं।

यूनेस्को की कार्यक्रम विशेषज्ञ और शिक्षा प्रमुख जॉयस पोआन ने कहा कि यूनेस्को शिक्षा क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने में अग्रणी है। हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित करने के लिए पांच साल की अवधि के लिए राज्य सरकार के साथ साझेदारी करने के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनुभवों को साझा करने के अलावा, खण्ड स्तर तक आदान – प्रदान कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

समग्र शिक्षा के विशेष परियोजना निदेशक राजेश शर्मा ने प्रदेश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रस्तुति देते हुए कहा कि यूनेस्को की सहायता से प्रदेश सरकार स्कूलों को नवाचार और उत्कृष्टता के केंद्रों में बदलने के लिए तत्पर है।

बैठक में निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत शर्मा, निदेशक प्रारंभिक शिक्षा आशीष कोहली तथा यूनेस्को प्रतिनिधिमंडल के सदस्य श्रद्धा चिकरूर एवं शैलेन्द्र शर्मा ने भी अपने बहुमूल्य सुझाव दिए।

ग्लेशियर झीलों के बैथीमीटरी सर्वे पर आधारित रिपोर्ट जारी

शिमला/शैल। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने ग्लेशियर झीलों वासुकी, सांगला के बैथीमीटरी सर्वे और सामरिक महत्व की सड़कों पर भूस्खलन के जोखिम का आकलन पर आधारित अध्ययन रिपोर्ट जारी की। कुल्लू जिले के सोसन में 4500 मीटर ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर झील वासुकी और किन्नौर जिले के सांगला में 4710 मीटर की ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर झील सांगला की बैथीमीटरी सर्वे रिपोर्ट प्रगत संगणन विकास केंद्र (सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कम्पयूटिंग) के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने गहन अध्ययन के बाद तैयार की है।

इन जोखिमपूर्ण ग्लेशियर झीलों के लिए बैथीमीटरी सर्वे किया गया। ये दोनों झीलें बदलते मौसम, जलवायु परिवर्तन और ग्लेशियरों के पिघलने से बनी हैं। ग्लेशियर झील वासुकी 1.65 किमी की परिधि में है। इसकी अधिकतम गहराई 36.91 मीटर और औसत गहराई 14.48 मीटर है।

2017 से 2024 के बीच ग्लेशियर झील वासुकी का क्षेत्रफल 3.02 हेक्टयेर बढ़ चुका है। 2017 में वासुकी का क्षेत्रफल 10.36 हेक्टेयर था जोकि 2024 में 13.38 हेक्टयेर हो गया। झील में 2.16605135 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है।

बाढ़ के लिहाज से पार्वती नदी को बेहद संवेदनशील बताया गया है। लगातार ग्लेशियरों के पिघलने से नदी में पानी का बहाव बढ़ सकता है। हालांकि झील से अभी तक पानी की कोई लीकेज नहीं है।

बास्पा नदी प्रणाली में ग्लेशियर झील सांगला की अहम भूमिका है। यह झील स्थानीय पारिस्थितिकी तत्र और जैव विविधता के लिए भी प्रसिद्ध है। यह झील कई जीवों की प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। रिपोर्ट में संभावना जताई गई है कि इस झील के फटने से जेएसडब्ल्यू, बास्पा हाइडल पावर स्टेशन प्रभावित हो सकते हैं। सांगला में जानमाल की क्षति की भी संभावना जताई गई है।

2017 से 2024 के बीच सांगला झील का क्षेत्रफल 0.87 हेक्टयेर बढ़ा। 2017 में सांगला झील का क्षेत्रफल 13. 4 हेक्टयेर था जोकि 2024 में 14.29 हेक्टयेर हो गया। सितंबर में सर्वे के दौरान झील का क्षेत्रफल 15.73 हेक्टेयर पाया गया। झील में 1.52758 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी है।

रिपोर्ट में यह सुझाव दिया गया है कि इन झीलों का हर वर्ष फील्ड सर्वे करवाया जाए। इसके साथ ही अग्रिम चेतावनी प्रणाली (अर्ली वार्निंग सिस्टम) भी स्थापित की जाए। झीलों में पानी के बहाव की निरंतर निगरानी की भी आवश्यकता पर भी बल दिया गया है।

इसके अतिरिक्त पंथाघाटी से एनएच क्रॉसिंग और कैनेडी चौक से अनाडेल हेलीपेड सड़क का आकलन भी किया गया है। सड़क अवरुद्ध करने वाले 15 प्वाइंटों को चिन्हित किया गया है।

इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव कमलेश कुमार पंत, अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार चंद शर्मा, निदेशक व विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा, निदेशक ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज राघव शर्मा, पुलिस अधीक्षक एसडीआरएफ अर्जित सेन ठाकुर, मुख्य अभियंता लोक निर्माण विभाग अजय कपूर, मुख्य अभियंता ऊर्जा विभाग डीपी गुप्ता, विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

एचआरटीसी निदेशक मंडल ने 700 बसें खरीदने की मंजूरी दी

शिमला/शैल। हिमाचल पथ परिवहन निगम राज्य में परिवहन सुविधा को सुदृढ़ करने के लिए लगभग 700 बसों की खरीद करने जा रहा है।

उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में आयोजित एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 159वीं बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया।

उप-मुख्यमंत्री ने कहा कि 297 टाइप-1 ई-बसों की खरीद से संबंधित औपचारिकताएं पूरी हो गई है। बैठक में इन बसों के संबंध में खरीद समिति के अनुमोदन को स्वीकार करके इन बसों की खरीद को अंतिम स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल भेजने का निर्णय लिया गया। यह सभी बसें लगभग 4 महीनों के भीतर यात्रियों की सुविधा के लिए उपलब्ध होंगी। इसके अलावा बैठक में 23 टाइप-1 ई-बसें खरीदने को भी मंजूरी प्रदान की गई है।

उन्होंने कहा कि 24 नई सुपर लग्जरी बसों की खरीद प्रक्रिया अंतिम चरण में है और इस संबंध में प्रदेश मंत्रिमंडल को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा जाएगा। बैठक में 37 सीटर 250 डीजल बसों को खरीदने के लिए भी निविदा आमंत्रित करने को भी मंजूरी प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त 100 मिनी बसों की खरीद के लिए री-टेंडरिंग को स्वीकृति दी गई।

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 700 नई बसों के आने से प्रदेश के दूरस्थ गांवों तक आवागमन की सुविधा मिलेगी, जिससे प्रदेशवासी एवं पर्यटक लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से 15 वर्ष पुरानी डीजल बसों को हटाने के निर्देश मिले हैं जिनके अनुपालन के बाद एचआरटीसी के बेड़े में बसों की संख्या काफी हद तक घट जाएगी। लेकिन नई बसों की खरीद के निर्णय से स्थिति पुन: सामान्य हो जाएगी।

बैठक में दो त्वरित प्रतिक्रिया वाहन और चार क्रैन खरीदने का भी निर्णय लिया गया। बैठक में जानकारी दी गई कि एचआरटीसी ने पिछले एक वर्ष के दौरान लगभग 70 करोड़ रुपये की आय अर्जित की है।

निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर ने बैठक का संचालन किया। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में निगम की कार्य प्रणाली में और सुधार लाया जाएगा ताकि लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ निगम की आय में भी वृद्धि की जा सके।

बैठक में निदेशक मंडल के सदस्य, प्रधान सचिव आर.डी. नजीम, निदेशक डीसी नेगी, विशेष सचिव वित्त रोहित जम्वाल, परिवहन निगम के नवनियुक्त उपाध्यक्ष अजय वर्मा सहित गैर सरकारी सदस्य भी उपस्थित थे।

पहले चरण में छः एंट्री टैक्स बैरियर्स पर फास्टैग सुविधा होगी आरम्भ

शिमला/शैल। प्रदेश सरकार राज्य में वाहनों के माध्यम से प्रवेश करने वाले यात्रियों के लिए एंट्री टैक्स भुगतान सुविधा को सुव्यवस्थित करने जा रही है। नई व्यवस्था के तहत प्रदेश के सभी 55 टोल बैरियरों पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर संग्रह सुविधा आरम्भ की जाएगी। पहले चरण में फास्टैग आधारित प्रवेश कर सुविधा छह स्थानों पर लागू की जाएगी, जिसमें बिलासपुर जिला के गरमौरा, परवाणू (मेन), सोलन जिला के टिपरा बाईपास (परवाणू), सिरमौर जिला के गोविंदघाट, कांगड़ा जिला के कंडवाल, ऊना जिला के मैहतपुर और सोलन जिला के बद्दी शामिल हैं। इस सुविधा के आरम्भ होने से राज्य में प्रवेश के समय वाहनों के प्रतीक्षा समय में बचत होगी।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सभी प्रवेश कर बैरियरों की नीलामी-सह-निविदा करने का निर्णय लिया है, जिससे वित्त वर्ष 2024-25 की तुलना में प्रवेश कर राजस्व में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि की उम्मीद है। चयनित टोल इकाइयों के सफल टोल पट्टेदारों को 45 दिनों के भीतर फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली कार्यान्वयन से संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी, अन्यथा उनका पट्टा रद्द कर दिया जाएगा। वे जारीकर्ता बैंक, एनपीसीआई, आईएचएमसीएल और अधिग्रहण करने वाले बैंक के शुल्क सहित स्थापना और संचालन की पूरी लागत वहन करेंगे। संबंधित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रवक्ता ने कहा कि टोल पट्टेदारों को अपने खर्च पर फास्टैग आधारित प्रवेश कर प्रणाली कार्यान्वयन की पुष्टि करने वाला दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त उन्हें 24 घंटे के भीतर आने-जाने वाले यात्रियों को रसीद जारी करनी होगी और उन्हें स्वीकृत टोल दरों से अधिक कोई भी राशि वसूलने की सख्त मनाही होगी। वर्तमान में भारी वाणिज्यिक वाहनों को छोड़कर सभी हिमाचल प्रदेश-पंजीकृत वाहनों को प्रवेश कर से छूट दी गई है। फास्टैग सॉफ्टवेयर में यह सुनिश्चित करने का प्रावधान होगा कि छूट प्राप्त वाहनों के लिए कोई कटौती नहीं की जाए। प्रवक्ता ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य राज्य में प्रवेश के समय यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करते हुए प्रवेश कर संग्रह सुविधा में सुधार लाना है।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग को आधुनिक मशीनें उपलब्ध करवाई जाएंगी: रोहित ठाकुर

शिमला/शैल। शिक्षा एवं मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री रोहित ठाकुर ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग का दौरा किया और विभागीय कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि यह विभाग राज्य सरकार के सभी विभागों

की मुद्रण एवं स्टेशनरी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार विभाग को सशक्त बनाने के हर संभव प्रयास कर रही है। विभाग में कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने विभिन्न श्रेणियों के 33 पदों को भरने को मंजूरी दी है, जिसकी भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि मुद्रण कार्य के लिए विभाग में आधुनिक मशीनों की आवश्यकता है, जिसके संचालन के लिए प्रशिक्षित कर्मचारी नियुक्त किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके दृष्टिगत वह आगामी मंत्रिमंडल की बैठक में विभाग में अतिरिक्त कर्मचारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि आधुनिक मशीनों के संचालन के लिए कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा।

ठाकुर ने कहा कि पिछली सरकार ने विभाग की उपेक्षा की और तकनीकी उन्नति के लिए कोई कदम नहीं उठाया। पिछली सरकार ने कोई भर्ती नहीं की, जिससे विभाग का काम प्रभावित हुआ। प्रिंटिंग प्रेस में पूर्व में 365 कर्मचारी थे, लेकिन वर्तमान में यह संख्या घटकर 128 रह गई है। वर्तमान सरकार इसे पटरी पर लाने और प्रिंटिंग कार्य के सुचारू निष्पादन को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

रोहित ठाकुर ने इस अवसर पर विभाग के विभिन्न अनुभागों का निरीक्षण किया और कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को सुना। उन्होंने यहां के कर्मचारियों की कार्यनिष्ठा की सराहना करते हुए आश्वासन दिया कि उनकी सभी समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक निवारण किया जाएगा।

मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की नियंत्रक प्रभा राजीव ने शिक्षा मंत्री को विभाग की कार्य प्रणाली और मांगों व आवश्यकताओं से अवगत करवाया।

विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

कारागारों में जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए सरकार उठा रही कदम

शिमला/शैल। व्यवस्था परिवर्तन की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ते हुए हिमाचल प्रदेश की कारागारों में अब कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के दिशा-निर्देशों के अनुसार बंदियों के बीच समानता सुनिश्चित करने और जाति आधारित कार्य आवंटन को समाप्त करने के लिए राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल 2021 में सभी जाति आधारित प्रावधानों में संशोधन किया है।

प्रवक्ता ने कहा कि राज्य सरकार ने मैनुअल में कारागार और सुधार संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव को प्रतिबंधित करने के लिए एक पैरा सम्मिलित किया है। नए जोड़े गए प्रावधान के तहत, पैरा 5.66 यह सुनिश्चित करता है कि जाति के आधार पर कैदियों के साथ कोई भेदभाव, वर्गीकरण या अलगाव नहीं किया जाएगा। पैरा 5.67 के अनुसार कारागार में जाति के आधार पर कर्तव्यों और कार्यों का आवंटन नहीं किया जाएगा

उन्होंने कहा कि पैरा 5.68 में हाथ से मैला ढोने, सीवर सिस्टम के रखरखाव और सेप्टिक टैंक की सफाई के काम में कैदियों से काम नहीं करवाने का प्रावधान किया गया है। इससे पहले जेल मैनुअल में महिला कैदियों की अनुपस्थिति में सफाई कार्य के लिए वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को रखने का प्रावधान था। पैरा 214 के तहत इस क्लॉज को अब पूरी तरह से हटा दिया गया है।

प्रवक्ता ने बताया कि अब जेल रिकॉर्ड में कारागार में बंद कैदियों की जाति, समुदाय या धार्मिक संबद्धता का उल्लेख नहीं किया जाएगा। रजिस्टर नंबर एक के क्लॉज नंबर 5 में जाति, संप्रदाय दर्ज करने, गैर-दोषी कैदियों के रजिस्टर और पैरा नंबर 33/06 में उल्लिखित दोषियों के रजिस्टर नंबर दो के बिंदु नंबर 2 को हटा दिया गया है। पहले जेल मैनुअल में इस तरह के वर्गीकरण के प्रावधान शामिल थे। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश जेल मैनुअल द्वितीय संशोधन, 2025 के माध्यम से इन सुधारों को प्रस्तुत किया है।

उन्होंने कहा कि संशोधित जेल मैनुअल में आदतन अपराधियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। यदि कोई व्यक्ति लगातार पांच वर्षों की अवधि में अलग-अलग अवसरों पर किसी एक या अधिक अपराधों के लिए दो से अधिक बार दोषी ठहराया गया हो या उसे कारावास की सजा सुनाई गई हो, ऐसे व्यक्ति को आदतन अपराधी माना जाएगा यदि किसी अपील या समीक्षा पर उसकी सजा पर पूर्व के निर्णय को न बदला गया हो।

प्रवक्ता ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में निष्पक्ष और गैर भेदभाव को जेल कारागार संचालन सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है और इसके लिए कारागार में सम्मान, समानता और न्याय बनाए रखने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है।

बल्क ड्रग पार्क के लिए निविदा शीघ्र आमंत्रित की जाएगी:उद्योग मंत्री

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एचपीबीडीपीआईएल) की उच्च स्तरीय समिति बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित विभागों को इस महत्त्वपूर्ण परियोजना के कार्य को गति प्रदान करने के निर्देश दिए ताकि इसे समयबद्ध पूर्ण किया जा सके।

उद्योग मंत्री ने पिछली बैठक में लिए गए निर्णयानुसार स्थल विकास, चार दीवारी, आन्तरिक सड़कों आदि के लिए आवश्यक संशोधन के साथ निविदा जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाता फर्म को तकनीकी सुविधाओं के मानक तैयार करने तथा जीरो लिक्विड डिस्चार्ज (जेडएलडी), कॉमन एफल्यूवेंट ट्रीटमेंट प्लांट, बॉयलर स्टीम जनरेशन एवं वितरण प्रणाली तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन संयंत्र की शेष निविदाओं को 8 मार्च, 2025 से पहले जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने हाई पावर कमेटी की पांचवीं बैठक में लिए गए निर्णयों पर हुई प्रगति की समीक्षा भी की।

बैठक में बल्क ड्रग पार्क परियोजना के लिए तकनीकी भागीदारी के रूप में नाइपर मोहाली को जोड़ने का निर्णय लिया गया और इस संबंध में समझौता ज्ञापन शीघ्र हस्ताक्षरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नाइपर उत्कृष्टता केन्द्र की स्थापना में सहयोग प्रदान करेगा, जिसके लिए सैद्धान्तिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

निदेशक उद्योग एवं बल्क ड्रग पार्क की राज्य क्रियान्वयन एजेंसी के प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. यूनुस ने परियोजना से संबंधित प्रगति पर विस्तृत प्रस्तुति दी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार (इंफ्रास्ट्रक्चर) अनिल कपिल, अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग आर.डी. नजीम, एचपीआइडीसी के प्रबन्ध निदेशक राजेश्वर गोयल, एचपीबीडीपीआइएल के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी तिलक राज शर्मा और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में उपस्थित थे।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177-2805015, 94180-15015 फैक्स: 2805015

सुक्खू के मंत्रीयों ने रेल राज्य मंत्री बिट्टू पर बोला हमला

शिमला/शैल। राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू द्वारा दिये गये ब्यान को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताया है।

एक प्रेस वक्तव्य में दोनों मंत्रियों ने कहा कि भानुपल्ली – बिलासपुर रेल लाइन की प्रारंभिक अनुमानित लागत लगभग 3,000 करोड़ रुपये थी, जिसमें केंद्र सरकार 75 प्रतिशत धनराशि देने के लिए प्रतिबद्ध है और भूमि अधिग्रहण की अनुमानित लागत 70 करोड़ रुपये आंकी गई है।

मंत्रियों ने बताया कि रेल लाइन के निर्माण की कुल लागत अब दोगुनी से बढ़कर 7,000 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। इसके अतिरिक्त, भूमि अधिग्रहण की लागत बढ़कर 1,100 करोड़ रुपये हो गई है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए 70 करोड़ रुपये से अधिक धनराशि प्रदान करने से साफ इन्कार कर दिया है, जिसके कारण भूमि अधिग्रहण पर पूरा खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है।

जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि 1 मार्च, 2023 से वर्तमान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश में रेलवे विकास परियोजनाओं के लिए रेल विकास निगम लिमिटेड को लगभग 300 करोड़ रुपये का योगदान दिया है। यह केंद्रीय रेल राज्य मंत्री द्वारा किए गए दावों का खंडन करता है, क्योंकि उनके ब्यान तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

मंत्रियों ने कहा कि रेल मंत्रालय की वेबसाइट वार्षिक पिंक बुक प्रकाशित करती है, जिसमें एक वित्तीय वर्ष के लिए नियोजित रेलवे निर्माण परियोजनाओं की सूची होती है। हालांकि, नवीनतम पिंक बुक अभी तक अपलोड नहीं की गई है, जिससे यह दावा सत्यापित करना असंभव है कि हिमाचल प्रदेश के लिए 11,806 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। मंत्रियों ने स्पष्ट किया कि यह राशि कोई विशेष अनुदान नहीं है, बल्कि केवल बजटीय अनुमान है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2021-22 में भानुपल्ली – बिलासपुर रेल लाइन के लिए 1,289 करोड़ रुपये के आवंटित बजट के मुकाबले केवल 325 करोड़ रुपये खर्च किए गए। जबकि वर्ष 2022-23 में 1,289 करोड़ रुपये में से केवल 730 करोड़ रुपये का उपयोग किया गया और वर्ष 2023-24 में केंद्रीय बजट पेश होने तक आवंटित 1,289 करोड़ रुपये में से केवल 936 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए। उन्होंने कहा कि पिछले तीन वर्षो में कुल 3,867 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले केवल 1,991 करोड़ रुपये ही खर्च किए गए हैं। ये आंकड़े बताते हैं कि केंद्रीय मंत्री बिट्टू के ब्यान में तथ्यात्मक सटीकता का अभाव है। उन्होंने कहा कि ये बजटीय प्रावधान सभी राज्यों के लिए किए गए हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई विशेष लाभ नहीं मिला है। इसके विपरीत, कुछ अन्य राज्यों को रेलवे परियोजनाओं के लिए काफी अधिक वित्तीय सहायता दी गई है।

जगत सिंह नेगी और विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 के बीच हिमाचल प्रदेश को उत्तराखंड के मुकाबले केंद्र सरकार से बहुत कम वित्तीय सहायता

मिली है। उन्होंने कहा कि ऐसी वित्तीय सहायता केंद्र प्रायोजित योजनाओं का हिस्सा है, जो हिमाचल प्रदेश के लोगों पर कोई उपकार नहीं बल्कि उनका संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहकारी संघवाद की बात करते हैं, जबकि विपक्ष के नेता जय राम ठाकुर जैसे अन्य भाजपा नेता संवैधानिक रूप से अनिवार्य वित्तीय सहायता को केंद्र सरकार की ओर से एक उदार संकेत के रूप में पेश करते हैं।

केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने रखे प्रदेश को दी गयी केन्दीय सहायता के आंकड़े

केंद्रीय रेलवे राज्य मंत्री एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने कहा कि मोदी सरकार ने बजट 2024-25 में हिमाचल प्रदेश को 11,806 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान दिया है। वर्ष 2014 से 2024 तक मोदी सरकार ने हिमाचल को 54,662 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी है।

केंद्र सरकार हिमाचल में रेलवे कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए 2,716 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। इस राशि से चार बड़े रेल प्रोजेक्ट, जिनकी कुल लागत 13,168 करोड़ रुपये है, को पूरा किया जायेगा। साथ ही, कालका-शिमला वर्ल्ड हेरिटेज रेलवे को और आकर्षक बनाने के लिए विस्टा डोम कोच की सुविधा दी जाएगी, जिससे हिमाचल में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। बिलासपुर-लेह रेल लाइन, चंडीगढ़-मनाली-लेह रेल प्रोजेक्ट को भी गति मिलेगी। हालांकि, हिमाचल सरकार अपने हिस्से की 660 करोड़ रुपये की राशि जारी नहीं कर रही, जिससे कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं अटकी हुई हैं। भाजपा मांग करती है कि प्रदेश सरकार जल्द से जल्द अपना वित्तीय योगदान दे, ताकि रेलवे प्रोजेक्ट्स में कोई रुकावट न आये।

सुक्खू के मंत्रीयों का केंद्र सरकार पर प्रदेश के साथ भेदभाव का आरोप

शिमला/शैल। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि केंद्र सरकार लगातार हिमाचल प्रदेश के साथ भेदभाव कर रही है। राज्य

सरकार के कई मंत्रियों ने बार-बार केंद्र सरकार के मंत्रियों से मिलकर अपनी बात रखी है, लेकिन आश्वासन के सिवा हिमाचल प्रदेश के लोगों को कुछ नहीं मिला है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक में प्रदेश सरकार ने राज्य के 1 लाख 36 हजार एनपीएस कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल की, जिससे नाखुश भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश के नेताओं ने कर्मचारी विरोधी विचारधारा के चलते हिमाचल प्रदेश पर कई वित्तीय प्रतिबंध लगाए। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के बाद केंद्र ने हिमाचल को मिलने वाली ऋण सीमा में भारी कटौती की ताकि हमारी सरकार पर ओपीएस बंद करने का दबाव बना सके। केंद्र के पास एनपीएस के तहत प्रदेश के लगभग 9 हजार करोड़ रुपये फंसे हैं, जिसे केंद्र सरकार से वापिस लौटाने का बार-बारे आग्रह किया गया है। इस संबंध में कई बार प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने केंद्रीय नेताओं से मुलाकात कर कर्मचारी एवं प्रदेश हित में इस राशि को लौटाने की मांग रखी है। इस संबंध में अभी तक केंद्र की तरफ से कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। केंद्र सरकार एनपीएस की जमा राशि लौटाने के बजाये प्रदेश पर कर्मचारियों को पुन: एनपीएस अथवा यूपीएस के दायरे में लाने के लिए लगातार पत्र भेज रही है।

उद्योग मंत्री एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष 2023 में हिमाचल प्रदेश पर अभूतपूर्व प्राकृतिक आपदा आई थी। ऐसे बुरे वक्त में भी भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास कार्यो के लिए प्रदेश के लोगों की कोई सहायता नहीं की। स्वयं केंद्रीय दल ने आपदा उपरान्त आवश्यकता आकलन किया और हिमाचल में आपदा से हुआ नुकसान 9 हजार 42 करोड़ रुपये आंका था। लेकिन केंद्र ने हिमाचल प्रदेश के हितों का इस प्रकार तिरस्कार किया है कि लगभग दो वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के पश्चात आज तक प्रदेश को बतौर सहायता राशि एक रुपया भी नहीं दिया है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं भी कई बार केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर हिमाचल प्रदेश के हक को तुरंत जारी करने की मांग कर चुके हैं।

मंत्रियों ने कहा कि भाखड़ा बांध प्रबन्धन बोर्ड के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के प्रदेश के पक्ष में फैसले के बावजूद बीबीएमबी ने 4500 करोड़ रुपये का बकाया भी प्रदेश को नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार यह धनराशि राज्य को जारी कर दे तो हिमाचल आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को शीघ्र हासिल करेगा।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने पिछले बजट में भाजपा शासित आपदा प्रभावित राज्यों को सीधे आर्थिक मदद दी, जबकि हिमाचल प्रदेश के लिए मल्टीलेटरल डेवलेपमेंट अस्सिटेंट शब्द का इस्तेमाल किया गया। जब मदद की परिभाषा में ही भेदभाव था, तो हिमाचल प्रदेश को मदद कहां से मिलनी थी। यह केंद्र सरकार के सौतेले व्यवहार का स्पष्ट प्रमाण है।

हर्षवर्धन चौहान और राजेश

धर्माणी ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा देना तो दूर, केंद्र ने हिमाचल से उसका हक भी छीना है। हिमाचल प्रदेश के विकास को रोकने के लिए जानबूझ कर साजिशें की जा रही हैं, जिनमें प्रदेश भाजपा के बड़े नेता मुख्य भूमिका में हैं। नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर सहित अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता लगातार दिल्ली प्रवास पर जाते हैं, वहां केंद्रीय नेतृत्व से मिलते हैं और न जाने ऐसी क्या बातें वहां पर होती हैं कि हिमाचल संबंधी विकास कार्यो की गति धीमी पड़ जाती है या फिर धूल फांकती रहती हैं।